SUCCESS STORY

(Good deeds always pay: A missing girl meets her parents)

A female having age of 06 years and resident of other country i.e. Nepal was happily residing with their parents in Nepal. One day, in absence of her parents, her uncle (Mama) brought her to India from Nepal. Her Mama has also told her that he is her father. The girl was sexually assaulted by her so called Mama number of times. The said girl informed about this to a women, whom she used to call Buwa and was also her neighbour at Haldwani. Thereafter, the said women lodged a police report against the Mama/father of the girl.

That, thereafter the said person was sent to the Judicial Custody. Since the girl now aged about 16 years, was having no relative here in India, therefore, she was sent to the Government Children Home Kishori Bakh, Almora vide order dated 18.12.2018 of C.W.C., Nainital.

That, thereafter, someone informed the parents of girl child that their daughter, who was missing from her childhood, is living in Government Children Home, Kishori Bakh, Almora. On this information, the parents of girl came to Almora and claimed that the aforesaid girl is their daughter and requested to hand over the said girl to them. Since, the said girl could not identify her parents, therefore, the girl was not handed over to them by the concerned officers.

The case related to above victim girl was put to trial before the court of learned Special Sessions Judge, POCSO, Haldwani, District-Nainital. The Legal-cum-Probation Officer of District Child Protection Unit, who was appointed by DLSA, Almora for works of victims under POCSO Act, went to the Government Children Home Kishori Bakh, where she knew the aforesaid facts. She talked with the aforesaid girl, who was now 18 years old. The said girl informed that she does not

know her parents, however, she would be ready to go with her parents, in case of matching her DNA with them.

That, thereafter, the mobile number of the aforesaid two persons was searched and the Legal-cum-Probation Officer telephonically asked them as to whether they are ready to match their DNA with the said girl. They were agreed for the same. On inquiry, it was found that the matter of the aforesaid girl was decided by the Special POCSO Court, Haldwani.

That, thereafter the Legal-cum-Probation Officer made request to the Member Secretary, Uttarakhand SLSA in this regard. She also sent a letter to the District Judge/Chairman, DLSA, Almora for conducting DNA tests of the aforesaid two persons and the girl.

That, on the direction of Member Secretary, Uttarakhand SLSA and under the guidance of Chairman, DLSA, Almora, the Secretary, DLSA, Almora looked upon the matter. He went to the Government Children Home Kishori Bakh, Almora and got information from the victim girl.

That, thereafter the Secretary, DLSA, Almora requested the Chief Medical Officer, Almora for DNA sample. Thereafter the Secretary, DLSA, Almora made request to the Senior Superintendent of Police, Almora for sending the DNA samples to the FSL. Secretary, DLSA, Almora also made communications to the FSL for getting the test report. On 07.02.2022 the DLSA, Almora got test report, in which DNA of victim girl and her parents got matched. So the persons proved to be the biological parents of victim girl.

That, thereafter the parents of the girl were informed in this regard. On 24.02.2022 on the direction of District Probation Officer the girl was handed over to their parents in presence of Chairman, DLSA,

Almora, Secretary, DLSA, Almora, Legal-cum-Probation Officer, Almora and Child Welfare Committee, Almora.

Thus, in this way, a girl who was separated from her parents in her childhood and the two persons who had lost hope of getting her daughter back, were met with each other with the continuous efforts made by the Uttarakhand SLSA, District Legal Services Authority, Almora and Legal-cum-Probation Officer of District Child Protection Unit, Almora.

******

डीएनए के बाद परिजनों को सौंपी बालिका

शाह टाइम्स संवाददाता

अल्मोड़ा। बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ जाने वाली एक बच्ची को गुरुवार को उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया।

परिवार वालों से बचपन में बिछुड़ गयी थी बालिका परिवार में लौटीं खुशियां

यह बच्ची बचपन में ही परिवार से बिछुड़ गई थी और माता पिता का पता लगाने के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा लेना पड़ा। लेकिन एक टीम वर्क और सार्थक पहल के माध्यम से एक बालिका अपने जैविक माता पिता से मिल पाई और अब उसे उनके सुपुर्द कर दिया गया है। इस बच्ची को बाल कल्याण समिति नैनीताल ने चार साल पूर्व बरामद किया था और नाबालिग होने के चलते अल्मोड़ा के बाल गृह किशोरी में रखा था। गुरुवार को जब बच्ची को परिजनों के सुपुर्द किया गया तब प्रशासन, विधि विभाग, न्याय विभाग और प्रोबेशन अधिकारी भी मौजूद रहे।

इस दौरान बालिका को उनकी माता की सुपुर्दगी में दिये जाने के समय जनपद न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान, सिविल जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा रविशंकर मिश्रा, जिला परिवीक्षा अधिकारी राजीव नयन तिवारी, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी अभिलाषा तिवारी व अधीक्षिका राजकीय बाल गृह किशोरी मंजू उपाध्याय व बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रूप तिवारी और सदस्य मीता उपाध्याय, त्रिलोक लटवाल और तथा नेपाल से आए सामाजिक कार्यकर्ता सतमान भी उपस्थित थे।

जिला प्रोबेशन अधिकारी राजीव नयन तिवारी ने बताया कि यह बच्ची मूल रूप से नेपाल मूल की है और 2018 से अल्मोड़ा बाल गृह किशोरी सदन में रह रही है। गुरुवार को उसे जैविक माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया है और अब वह अपना सामाजिक जीवन की शुरूआत करेगी। जानकारी के अनुसार 2018 से यह बच्ची अल्मोड़ा के किशोरी सदन में रह रही है। इस दौरान एक महिला और पुरुष ने वहां पहुंच कर उस बालिका का माता पिता होने का दावा किया था। किन्तु वह बालिका उनको पहचानती नहीं थी। इसलिए उस बच्ची को तब माता पिता बताने वालों को नहीं दिया गया। जिला बाल संरक्षण इकाई में कार्यरत विधि सह परिवीक्षा अधिकारी एट अभिलाषा तिवारी ने बताया कि उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा को एक प्रार्थना पत्र इस बालिका के माता-पिता के पहचान सुनिश्चित करने हेतु व डीएनए टेस्ट करवाने के सम्बन्ध में दिया। सदस्य सचिव उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल आरके खुलबे के निर्देशन एवं जिला न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान के मार्ग दर्शन पर सिविल जज रवि शंकर मिश्रा द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी अल्मोड़ा से अनुरोध किया कि बालिका व उक्त दोनों पुरुष व स्त्री का डीएनए टेस्ट करवा दिया जाये। जिस पर ये तीनों लोगों के सैंपल लिये गये। सैंपल लिये जाने के उपरान्त जांच हेतु ये सैंपल विधि विज्ञान प्रयोगशाला देहरादून भेजा जाना था जिसके लिए पुलिस विभाग से एक विशेष वाहक की आवश्यकता थी, जिसके लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया तथा सैंपल विशेष वाहक द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला देहरादून भिजवाया गया। जांच उपरान्त दावा करने वाले दोनों व्यक्त बालिका के जैविक माता-पिता पाये गये। बालिका की माता उसे लेने के लिए स्वयं आयी तथा जिला परिवीक्षा अधिकारी राजीव नयन के आदेश पर पीड़िता को उसकी सुपुर्दगी में दिया गया।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा व

नेपाल के माता पिता को 14 साल बाद मिली बेटी

डीएनए परीक्षण के बाद सौंपी बालिका

आज समाचार सेवा

अल्मोड़ा। नेपाल की एक बालिका 14 साल बाद आखिरकार अपने माता-पिता की छत्रछाया मिल गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा की मानवीय पहल से यह संभव हो सका है। इसके लिए बकायदा डीएनए टेस्ट का सहारा लेने के हालात बने। गुरुवार को जिला जज मलिक मजहर सुल्तान व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज सीड्डि रविशंकर मिश्रा आदि की मौजूदगी में नेपाल से आए माता पिता को बेटी को औपचारिक तौर पर सौंपा गया। बेटी पिछले कुछ सालों से अल्मोड़ा स्थित किशोरी सदन में रह रही थी।

इस बालिका की कहानी भी बड़ी मार्मिक रही। बचपन में इसका निकट का रिश्तेदार इसको नेपाल से उठा कर नैनीताल ले आया। जहां वह शारीरिक शोषण का शिकार भी हुई। हालात ने उसे 2108 में उसे किशोरी सदन अल्मोड़ा में पहुंचा दिया। इस बीच नेपाल के एक दंपत्ति ने उसको अपनी बेटी बताते हुए वापस ले जाने की गुहार लगाई। जिला बाल संरक्षण इकाई में कार्यरत विधि सह परिवीक्षा अधिकारी एडवोकेट अभिलाषा तिवारी ने इस मामले को विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंचाया। जहां सचिव रविशंकर मिश्रा ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने स्तर से इस मामले में सभी औपचारिकताएं पूरी करवाई। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के सदस्य सचिव न्यायमूर्ति आरके खुल्बे के निर्देशन तथा जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मलिक मजहर सुल्तान के मार्ग दर्शन पर आखिरकार बच्ची को अपने माता पिता को सौंप दिया गया। इस मौके पर जिला परिवीक्षा अधिकारी राजीव नयन तिवारी, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी अभिलाषा तिवारी व अधीक्षिका राजकीय बाल गृह किशोरी बख अल्मोड़ा मंजू उपाध्याय व बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रघु तिवारी और सदस्य मीता उपाध्याय, त्रिलोक लटवाल और तथा नेपाल से आये सामाजिक कार्यकर्ता सलमान भी उपस्थित थे।

डीएनए के बाद मिली बेटी को विदा करा ले गए नेपाली दंपति

असली घर मिला

अल्मोड़ा | संवाददाता

नेपाली मूल के परिजनों से डीएनए मिलान के बाद एक बेसहारा बालिका को अपना असली घर मिल गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बालिका के डीएनए टेस्ट मिलान के बाद गुरुवार को उसके माता-पिता को सौंप दिया है। पूर्व में नेपाल से 13 साल पहले लापता बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला भी सामने आया था। उसके बाद बालिका को राजकीय बालिका गृह में रखा गया था।

अल्मोड़ा में गुरुवार को राजकीय किशोरी सदन में जिला जज और अन्य अधिकारियों के बीच बालिका को माता पिता को सौंप गया। • हिन्दुस्तान

बाल कल्याण समिति नैनीताल ने चार साल पूर्व बालिका को बरामद किया था। जिसके बाद उसे राजकीय बालिका गृह अल्मोड़ा में रखा गया था। इधर नेपाली मूल के दंपति ने बालिका पर अपनी पुत्री होने का दावा किया था।

जिसके बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला जज के निर्देश के बाद नेपाली दंपति और बालिका के डीएनए का मिलान किया गया। इसके बाद नेपाल से सरकारी अधिकारी और परिजन अल्मोड़ा पहुंचे। गुरुवार को बालिका को परिजनों के सुपुर्द किया गया।

ये लोग रहे मौजूद

जिला न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रविशंकर मिश्रा, जिला परिवीक्षा अधिकारी राजीव नयन तिवारी, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी अभिलाषा तिवारी, अधीक्षिका राजकीय बाल गृह किशोरी बख अल्मोड़ा मंजू उपाध्याय, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रघु तिवारी, सदस्य मीता उपाध्याय, त्रिलोक लटवाल, सलमान मौजूद रहे।

> 2018 में बाल कल्याण समिति की ओर से बाल किशोरी में दाखिला कराया गया था। नेपाली मूल के एक दंपति ने बालिका के माता-पिता होने का दावा किया था। उसके बाद डीएनए की कार्यवाही की गई। गुरुवार को बालिका को माता-पिता को सौंप दिया गया। -रवि शंकर मिश्रा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा।

बालिका लेने आए माता पिता को पहचान नहीं पाई

किशोरी सदन में जब नेपाली बालिका को जब पूर्व में उसके माता-पिता लेने पहुंचे थे तो बालिका उन्हें नहीं पहचान पाई। उसके बाद बालिका को उन्हें नहीं दिया गया। बाद में जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट उनके मेल हुई तब बालिका को दंपति को सौंप गया।

मां ने भावुक होकर बेटी को गले लगाया

जिस बेटी को मां ने मरा समझ लिया। उसके मिलने की उम्मीद छोड़ दी। उस बेटी से मां करीब 13 साल बाद मिली। इस दौरान मां बेहद भावुक हो गई। उसने बेटी को गले लगा लिया और रोने लगी। उसने सभी का शुक्रिया भी किया। अपनी बेटी के मिलने के बाद मां ने बताया कि उसने अपनी बेटी को मरा समझ लिया था। महिला ने बताया की डीएनए जांच के बाद उसको उसकी बेटी मिल रही है।

दुष्कर्म पीड़िता का 'वनवास खत्म', मां से मिल भावुक

राजकीय बाल गृह किशोरी वख में जिला जज की मौजूदगी में स्वजनों को सौंपा, डीएनए सैंपल से किशोरी के माता-पिता होने की हुई थी पुष्टि

04 साल से किशोरी सदन में रह रही थी बालिका

14 साल बाद मां से मिल पाई बालिका

नेपाल से तस्करी कर भारत लाए जा रहे नाबालिग

अपराध

- कोरोना महामारी के दौरान ही 200 नाबालिग नेपाली लड़के-लड़कियों की सुरक्षित घर वापसी
- गरीबी से बढ़ रही हैं घटनाएं

डीएनए टेस्ट के बाद माता–पिता को सौंपी बेटी

अल्मोड़ा। नेपाल के एक दंपति द्वारा किशोरी सदन में रह रही एक बच्ची को उनकी बेटी होने का दावा किया था। इसके बाद न्यायालय के निर्देश पर डीएनए टेस्ट की कार्रवाई के बाद बच्ची को उन्हें सौंप दिया गया है। बच्ची पांच साल की उम्र में अपने माता–पिता से बिछड़ गई थी। चार साल पहले बाल कल्याण समिति ने एक चार साल की बच्ची को बरामद किया था। जिसे अल्मोड़ा के बख स्थित किशोरी सदन में रखा गया था। जिला प्रोबेशन अधिकारी राजीव नयन तिवारी ने बताया कि यह बच्ची वर्ष 2018 से अल्मोड़ा के किशोरी सदन में रह रही है। कुछ दिनों पूर्व एक दंपति ने यहां आकर बच्ची के माता पिता होने का दावा किया। लेकिन बच्ची उन्हें नहीं पहचान पाई। जिस कारण बच्ची को उनके सुपुर्द नहीं किया गया। जिला बाल संरक्षण इकाई में कार्यरत विधि सह परिवीक्षा अधिकारी अधिवक्ता अभिलाषा तिवारी ने बताया कि उनके द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बालिका के माता पिता की पहचान कराने के लिए उनका डीएनए टेस्ट कराने का अनुरोध पत्र दिया था। जिसके बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल आरके खुल्बै और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मलिक मजहर सुल्तान के निर्देश पर प्राधिकरण के सचिव रवि शंकर मिश्रा ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा को तीनों का डीएनए टेस्ट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पुष्टि के बाद गुरुवार को जनपद न्यायधीश मलिक मजहर सुल्तान, सचिव रविशंकर मिश्रा, प्रोबेशन अधिकारी राजीव नयन तिवारी, अधिवक्ता अभिलाषा तिवारी, अधीक्षिका किशोरी सदन मंजू उपाध्याय, बाल कल्याण समिति के रघु तिवारी, मीता उपाध्याय, त्रिलोक लटवाल, नेपाल के सामाजिक कार्यकर्ता सलमान की मौजूदगी में बच्ची को उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया।

किशोरी सदन में रह रही बालिका परिजनों को सौंपी

अल्मोड़ा। अपने माता पिता से बचपन में ही बिछड़ जाने वाली एक बच्ची को आज उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया।यह बच्ची बचपन में ही परिवार से बिछुड़ गई थी और माता पिता का पता लगाने के लिए डीएनए परीक्षण (DNA test) का सहारा लेना पड़ा। लेकिन एक टीम वर्क और सार्थक पहल के माध्यम से एक बालिका अपने जैविक माता पिता से मिल पाई और अब उसे उनके सुपुर्द कर दिया गया है। इस बच्ची को बाल कल्याण समिति नैनीताल ने चार साल पूर्व बरामद किया था और नाबालिग होने के चलते अल्मोड़ा के बाल गृह किशोरी में रखा था।गुरूवार को जब बच्ची को परिजनों के सुपुर्द किया गया तब प्रशासन, विधि विभाग,न्याय विभाग और प्रोबेशन अधिकारी भी मौजूद रहे।इस दौरान बालिका को उसकी माता की सुपुर्दगी में दिये जाने के समय माननीय जनपद न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान,सिविल जज (सी०डि०) / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा रविशंकर मिश्रा,जिला परिवीक्षा अधिकारी राजीव नयन तिवारी,विधि सह परिवीक्षा अधिकारी सुश्री अभिलाषा तिवारी व अधीक्षिका राजकीय बाल गृह किशोरी बख अल्मोड़ा मंजू उपाध्याय व बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रघु तिवारी और सदस्य मीता उपाध्याय,त्रिलोक लटवाल और तथा नेपाल से आये सामाजिक कार्यकर्ता सलमान भी उपस्थित थे।जिला प्रोबेशन अधिकारी राजीव नयन तिवारी ने बताया कि यह बच्ची मूल रूप से नेपाल मूल की है और 2018 से अल्मोड़ा बाल गृह किशोरी सदन में रह रही है।आज से उसे जैविक माता पिता के सुपर्द कर दिया गया है और अब वह अपना सामाजिक जीवन की शुरूआत करेगी।जानकारी के दौरान 2018 से यह बच्ची अल्मोड़ा के किशोरी सदन में रह रही है।इस दौरान एक महिला और पुरुष ने वहां पहुंच कर उस बालिका का माता पिता होने का दावा किया था।किन्तु वह बालिका उनको पहचानती नहीं थी। इसलिए उस बच्ची को तब माता पिता बताने वालों को नहीं दिया गया।जिला बाल संरक्षण इकाई में कार्यरत विधि सह परिवीक्षा अधिकारी अल्मोड़ा एडवोकेट अभिलाषा तिवारी ने बताया कि उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा को एक प्रार्थना पत्र इस बालिका के माता–पिता के पहचान सुनिश्चित करने

हेतु व डी०एन०ए० टेस्ट(DNA test) करवाने के सम्बन्ध में दिया। सदस्य सचिव उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल आर०के० खुलबे के निर्देशन एवं माननीय जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा मलिक मजहर सुल्तान के मार्ग दर्शन पर सिविल जज (सी०डि०) / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा रवि शंकर मिश्रा द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी अल्मोड़ा से अनुरोध किया कि बालिका व उक्त दोनों पुरुष व स्त्री का डी०एन०ए० टेस्ट (DNA test) करवा दिया जाय। जिस पर ये तीनों लोगों के सैंपल लिये गये। सैंपल लिये जाने के उपरान्त जाँच हेतु ये सैंपल विधि विज्ञान प्रयोगशाला देहरादून भेजा जाना था जिसके लिए पुलिस विभाग से एक विशेष वाहक की आवश्कता थी,जिसके लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया तथा सैंपल विशेष वाहक द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला देहरादून भिजवाया गया।जाँच उपरान्त दावा करने वाले दोनों व्यक्ति बालिका के जैविक माता–पिता पाये गये। बालिका की माता उसे लेने के लिए स्वयं आयी तथा जिला परिवीक्षा अधिकारी राजीव नयन के आदेश पर पीड़िता को उसकी सपुर्दगी में दिया गया।राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखण्ड नैनीताल,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा,जिला परिवीक्षा कार्यालय अल्मोड़ा तथा पुलिस विभाग के अथक प्रयासों के फलस्वरूप एक बालिका जो बचपन में ही अपने माता–पिता से बिछुड़ गयी थी के माता–पिता की पहचान कर उनकी सुपर्दगी में दिया जाना एक मिसाल है।जब पहले माता पिता बच्ची को लेने आए पर बच्ची पहचान नहीं पाई।इस बच्ची को उसके माता पिता पूर्व में भी लेने आए तब बालिका उन्हें नहीं पहचान पाई।उसके बाद बच्ची को उन्हें नहीं दिया गया।बाद में जब डीएनए टेस्ट(डछ। जमेज) की रिपोर्ट उनसे मैच हुई तभी बच्ची को उन्हें सौंपा गया। पता लगा है कि बचपन में ही उसका एक रिश्तेदार उसे घर यानि नेपाल से अपने साथ उठा लाया था।बाद में मालूम को जिला बाल कल्याण समिति ने बरामद किया।बताया जा रहा है कि बच्ची का अपने परिजनों से करीब 14 साल बाद मुलाकात हो रही है।इस बच्ची को उसके माता पिता से मिलाने के लिए नेपाल की सामाजिक संस्था ने भी मदद की थी।

Forwarded

मां ने जिस बेटी को मरा समझा..... वो दूसरे मुल्क में जिंदा मिली... जब बेटी से मिली मां तो कही ये बात.....(वीडियो)

Almora न्यूज: जिस बेटी को मां ने मरा समझ लिया। उसके मिलने की उम्मीद छोड़ दी।

sajagpahad.com

मां ने जिस बेटी को मरा समझा..... वो दूसरे मुल्क में जिंदा मिली... जब बेटी से मिली मां तो कही ये बात.....(वीडियो) https://sajagpahad.com/the-daughter-whom-the-mother-thought-was-dead/

फ़ेसबुक पर जुड़ें - https://www.facebook.com/sajagpahad

10:56 am

Forwarded

किशोरी सदन में रह रही बालिका परिजनों को सौंपी,माता पिता की पहचान के लिए कराना पड़ा डीएनए परीक्षण - शक्ति न्यूज अल्मोड़ा।

अपने माता पिता से बचपन में ही बिछड़ जाने वाली एक बच्ची को आज उसके माता पिता

shaktialmora.com

किशोरी सदन में रह रही बालिका परिजनों को सौंपी,माता पिता की पहचान के लिए कराना पड़ा डीएनए परीक्षण - शक्ति न्यूज अल्मोड़ा।

https://shaktialmora.com/the-girl-living-in-kishori-sadan-was-handed-over-to-the-family-dna-test-had-to-be-done-to-identify-the-parents/

10:56 am

Forwarded

किशोरी सदन में रह रही बालिका परिजनों को सौंपी

नेपाली मूल के परिजनों से डीएनए मिलान के बाद एक बेसहारा बालिका को अपना असली घर मिल गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बालिका क

dhunt.in

किशोरी सदन में रह रही बालिका परिजनों को सौंपी

http://dhunt.in/svmD5?s=a&uu=0x1568c921529836d7&ss=wsp
Source : "Live हिन्दुस्तान"

10:56 am

Forwarded

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आर के खुल्बे की पहल – डी एन ए जांच के बाद चार साल से बिछड़ी बच्ची मां बाप को सौंपी । परिवार में खुशी का माहौल ।
https://khabrenpalpalki.com/the-initiative-of-khulbe-a-member-of-the-state-legal-services-authority-sca-has-been-handed-over-to-the-parents-of-the-girl-child-for-four-years-after-the-dda-enquiry-the-family-of-happiness-in-t/

10:57 am